भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3868

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में श्रमिकों की कमी

3868. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में कृषि में ग्रामीण श्रम बल की भागीदारी में 15% की गिरावट के कारण कृषि में श्रमिकों की कमी एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गई है;

(ख) इस कमी का कृषि उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और विशेष रूप से बुवाई और कटाई जैसे व्यस्त मौसमों के दौरान, यह समग्र खाद्य उत्पादन को कैसे प्रभावित कर रहा है;

(ग) सरकार द्वारा श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें कृषि के लिए श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं; और

(घ) सरकार गरीब किसानों की मानव श्रम पर निर्भरता कम करने में मदद के लिए क्या कदम उठा रही है, जिसमें आधुनिक मशीनरी, वित्तीय प्रोत्साहन और मशीनीकरण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थायी रूप से खेती जारी रख सकें और अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकें?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण कार्यबल का प्रतिशत वर्ष 2022-23 में 58.4% से बढ़कर 2023-24 में 59.8% हो गया है। इसके अलावा, पिछले पाँच वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण कार्यबल में मामूली गिरावट आई है, जो वर्ष 2019-20 में 61.5% से घटकर 2023-24 में 59.8% हो गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**पीएलएफएस सर्वेक्षण वर्ष**	**ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र* में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत**
1.	2019-20	61.5
2.	2020-21	60.8
3.	2021-22	59.0
4.	2022-23	58.4
5.	2023-24	59.8

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, एमओएसपीआई (2019-20 से 2023-24)

*कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं

सरकार ने कृषि क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए विभिन्न नीतियाँ, सुधार और विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। ये पहल मशीनीकरण को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और लक्षित कौशल विकास योजनाएँ जैसे कार्यक्रम किसानों को समय पर कुशल और तकनीक-प्रचालित कृषि पद्धतियाँ अपनाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जो वर्ष 2019-20 में 297.5 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 353.96 मिलियन टन (तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार) हो गई है। इसी प्रकार, बागवानी उत्पादन वर्ष 2019-20 में 320.47 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 367.72 मिलियन टन (दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार) हो गया है।

(ग) एवं (घ): सरकार कृषि कार्यबल को सुदृढ़ करके और उत्पादकता में सुधार के लिए कौशल विकास पर जोर देने, मशीनीकरण को समर्थन देने, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली पहलों के माध्यम से किसानों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए अन्य स्कीमों के अलावा कई लक्षित स्कीम - जैसे कि कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), स्टार्ट अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्रीकल्चर फंड (एग्रीश्योर), कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) के तहत ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) कार्यक्रम, एटीएमए के नाम से लोकप्रिय "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन", एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) आदि कार्यान्वित की गई हैं ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने युवाओं के लिए खेती को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश के ग्रामीण जिलों में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) की स्थापना एक पहल है, जिनका उद्देश्य संबंधित जिले के विस्तार अधिकारियों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की नई तकनीकों का प्रसार करना है। इस उद्देश्य के लिए केवीके निम्नलिखित कार्यकलाप करते हैं:

i. विभिन्न कृषि प्रणालियों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए खेत स्तर पर परीक्षण;
ii. किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थनों पर प्रदर्शन;
iii. ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों की क्षमता विकास;
iv. किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी इनपुट का उत्पादन;
v. किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता लाने के लिए विस्तार गतिविधियाँ।

*****